

मैनुअल संख्या: 17 [धारा 4(1)(ख)(xvii)]

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।

(1) शिकायत निवारण तंत्र :-

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(5) में निहित प्रावधानों के अनुरूप उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश) विनियम, 2019 एवं संशोधन अधिसूचित किये गये हैं। उक्त के अन्तर्गत विद्युत की आपूर्ति, नये संयोजन या अनुज्ञापी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जिनमें भार/मांग में परिवर्तन, मीटर सम्बन्धी मामलों, बिल सम्बन्धी मुद्दे सम्मिलित हैं। उक्त के अनुरूप आयोग द्वारा वर्तमान में राज्य में विभिन्न स्थानों में 09 उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच स्थापित किये गये हैं।

(2) आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों और प्रदान की गई जानकारी का विवरण :-

आयोग कार्यालय के सक्षम आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों को समयबद्ध अवधि में निपटारा किया जा रहा है और आवेदको/अपीलकर्ता को वांछित सूचना स्पष्ट एवं ससमय प्रदान की जा रही है।

(3) पूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(4) चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(5) ठेकेदार के नाम सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(5) वार्षिक रिपोर्ट :-

आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 106 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट शासन के माध्यम से राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की जाती है। उक्त का अवलोकन आयोग कार्यालय में किया जा सकता है।

(6) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :-

आयोग कार्यालय में जन सामान्य द्वारा अक्सर विद्युत कनेक्शन, आयोग के विनियमों, आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेशों के सम्बन्ध में अनुरोध पत्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की समस्त जानकारीयों आयोग की बैवसाईट www.uerc.uk.gov.in पर देखा तथा डाऊनलोड हेतु जन सामान्य के लिए उपलब्ध रहती है।

(7) कोई अन्य जानकारी :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की जन सामान्य तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पारित अधिनियम की प्रति मय हिन्दी रूपान्तरण सहित, उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 एवं आयोग की अद्यतन मैनुअल पुस्तिका को आयोग की अधिकारिक वेब-साईट www.uerc.uk.gov.in पर देखा तथा डाऊनलोड किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

ख) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

ग) छह मासिक रिपोर्ट :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

घ) नागरिक चार्टर में निर्धारित मानकों के विरुद्ध प्रदर्शन :-

चूंकि आयोग के कार्यों के अनुरूप आम उपभोक्ताओं को सीधे सेवा प्रदान नहीं की जाती है। अतः आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से सम्बन्धित विनियमों को आयोग की बैवसाईट में अंग्रेजी एवं हिन्दी में अपलोड किया जाता है।

ङ) विधान सभा में पूछे गये प्रश्न और उनके उत्तर :-

आयोग से सम्बन्धित विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों पर आयोग का उत्तर ससमय प्रेषित किया जाता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित दस्तावेजों का अध्ययन आयोग कार्यालय में किया जा सकता है।

(8) धारा 4 के तहत अधिक से अधिक अभिलेखों के स्व:प्रकटन हेतु नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष/मो0न0, पूर्ण पता :-

श्री दीपक कुमार,
उप निदेशक (प्रशासन)
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन, नियर आईएसबीटी, माजरा, देहरादून।
फोन-0135-2641115 ई-मेल- dda.uerc@gov.in

(9) एजी का पैरा धारा 8 के अधीन रहते हुए :-

आयोग के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों पर एजी पैरा शून्य है एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक लेखों पर एजी ऑडिट रिपोर्ट सम्बंधी कार्यवाही गतिमान है।

(10) लोक प्राधिकारी के द्वारा आयोजित आर0टी0आई0 के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण :-

चूंकि आयोग के एक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी होने के कारण लोक प्राधिकार स्तर पर आईटीआई के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाते हैं, जबकि राज्य सूचना आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित आईटीआई के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोग की ओर से प्राधिकारियों को नामित किया जाता रहा है।
